

कार्यालय आदेश

ग्रामीण बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, गौ पुर्नवास केन्द्र, हिंगोनिया हेतु उपकरण क्रय करने के लिए जारी बोली आमंत्रण सूचना संख्या 666 दिनांक 20.01.2016 द्वारा आमंत्रित ऑनलाइन बोली के लिए प्राप्त बोलियों को ऑनलाइन खोलने एवं उनका तकनीकी मूल्यांकन करने हेतु निम्न अधिकारियों की उपापन समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्री रमेश साँखला, मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर
2. डा. एन.एम सिंह, अतिरिक्त निदेशक (दवा प्रकोष्ठ), निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर।
3. श्री धनसिंह मीना, लेखाधिकारी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
4. डॉ. राज मोहन अय्यर, व.प.चि.अ.(रेडियोलोजिस्ट), मोबाइल सर्जिकल यूनिट, पॉलिक्लिनिक, जयपुर।
5. डॉ आशुतोष अरोडा, व.प.चि.अ.(गायनेकोलोजिस्ट) पॉलिक्लिनिक, जयपुर।
6. डॉ. लव कुमार गोरसी, व.प.चि.अ.(सर्जरी), पॉलिक्लिनिक, जयपुर।
7. डॉ लेनिन भट्ट, व.प.चि.अ.(पैथोलोजिस्ट), राज्य रोग निदान केन्द्र, जयपुर।
8. डॉ. हेमन्ध्र शर्मा, व.प.चि.अ., मोनेटरिंग, निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर।

उक्त समिति दिनांक 09.02..2016 को प्रातः 11.00 बजे बोलियों को ऑनलाइन खोलने की कार्यवाही कर उनका तकनीकी मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगी।

-sd-
निदेशक

क्रमांक: एफ.9(35)लेखा/क्रय-ब/हिंगानिया उप./2015-16/155-30 जयपुर,दिनांक :- 8/2/16
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं अधिकारी कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, (दवा प्रकोष्ठ) एवं नोडल अधिकारी ई-प्रोक्यूरमेंट को ई-प्रोक पोर्टल पर प्रकाशन करवाने हेतु।
3. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र) जयपुर एवं नोडल अधिकारी, वैबसाईट निदेशालय पशुपालन राजस्थान, जयपुर को विभाग की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, (मोनेटरिंग) निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर।
5. विशेषाधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी तथा नोडल अधिकारी Spp पोर्टल निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर को Spp पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।
6. उपनिदेशक, राज्य रोग निदान केन्द्र, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. उप निदेशक (ACP) निदेशालय पशुपालन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ई-निविदा से सम्बन्धित आवश्यक समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करावें एवं ई-प्रोक, Spp पोर्टल एवं विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. उप निदेशक, बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय, जयपुर।
9. सम्बन्धित अधिकारियों को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी